1 2/17 आदेश पत्रावली पेश कोर्ट हुई मौखिक
बहस सुनी प्रार्थी का मुकदमा लंबित है
चूंकि अवकाश प्रा.पत्र का आवेदन
का कोई औचित्य नहीं। है अतः
प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज किया जाता है
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील
दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय खुले कोर्ट
में लिखाया जाकर सुनाया गया।